470
संख्या-[redacted]/14-2-2015-800(130)/2015

प्रेषक,

अशोक कुमार
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सैक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 15 मार्च ~~फरवरी~~ 2016

विषयः- एटा में टूण्डला-एटा मार्ग एस0एच0-31 के किमी0 26.088 की बांयीं पटरी पर ग्राम बाबरपुर के खसरा संख्या-988 में विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क निर्माण हेतु 0.092976 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र संख्या-984/एटा-13615/यूपी-099/2015, दिनांक 03-11-2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एटा में टूण्डला-एटा मार्ग एस0एच0-31 के किमी0 26.088 की बांयीं पटरी पर ग्राम बाबरपुर के खसरा संख्या-988 में विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क निर्माण हेतु 0.092976 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति का प्रस्ताव अपने स्तर से परीक्षण करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव के अनुसार उक्त प्रयोजन हेतु मांगी गयी वनभूमि न्यूनतम है और इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। चूँकि प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जा रहा है, अतएव प्रश्नगत वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोग के लिये दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव से शासन सहमत है।

2- अतएव उक्त प्रस्ताव मूल रूप में (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के प्राविधानों के तहत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।
संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,
(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

470
संख्या-[redacted](1)/14-2-2015-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ।
2- वन संरक्षक, अलीगढ वृत्त, अलीगढ वृत्त, अलीगढ़।
3- जिलाधिकारी,एटा।
4- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा।
5- प्रभागीय प्रबन्धक, एस्सार ऑयल लि0 ए-5, से0-3 नोएडा।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।